ऋण की राशि	निम्नलिखित को पुनर्वित्त पर ब्याज दर	
	वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
25,000/- रुपए तक	7.5%	6.5%
25,000/- रुपए से अधिक और 2,00,000/- रुपए तक	11.0%	10.5%

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता

877. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1992-93 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने महाराष्ट्र को 505.82 करोड़ रुपये, गुजरात को 163.75 करोड़ रुपये तथा मध्य प्रदेश को 73.62 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के तहत मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में 93 प्रतिशत सहायता प्रदान की गई थी जबकि महाराष्ट्र तथा गुजरात के मामले में पिछड़े क्षेत्रों को क्रमशः केवल 32 प्रतिशत तथा 23 प्रतिशत सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश के साथ भारी भेदभाव किया गया है; और

(घ) क्या सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों की औद्योगिक इकाइयों के लिए और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का निदेश देगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) वर्ष 1992-93 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में उद्योगों को अपनी परियोजना वित्त स्कीम के अंतर्गत क्रमशः 1767.7 करोड़ रुपए, 871.3 करोड़ रुपए और 402.2 करोड़ रुपए की सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को स्वीकृत कुल सहायता में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत सहायता का भाग क्रमशः 24%, 48.5% और 48.1% है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि किसी खास क्षेत्र में परियोजना का स्थान निर्धारण संबंधी निर्णय, उद्यमी स्वयं करता है जो बदले में वहां पर राज्य सरकारों द्वारा आधारभूत प्रोत्साहनों की उपलब्धता, कच्चे माल की सुलभता बाजार में पहुंच आदि पर निर्भर करता है। संस्थाएं, परियोजना की उपयुक्तता के लिहाज से परियोजना के स्थान का निर्धारण करती हैं। वित्तीय संस्थाओं का हमेशा यह प्रयास रहा है कि सभी अर्थक्षम परियोजनाओं का समर्थन किया जाये भले ही वे किसी भी स्थान में स्थित हों।

Transactions in Euro-Issues

878. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHARY: SHRI G.G. SWELL:
SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:
SHRI SARDA MOHANTY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the modus operandi of initial and secondary transactions in Euro-issues;

(b) whether Euro-issues holders abroad are permitted to sell their stock shares in Indian market in absence of buyers of these shares abroad or otherwise;

(c) whether Government provide foreign exchange to such sellers of Euro-issues in Indian markets;

(d) whether Government maintain a pool of foreign exchange to face the eventually of such sales in Indian market to meet the obligations of foreign investors;

(e) the details of the mechanism of building foreign exchange pool or depository of Euro-issues investments obligation.

(f) whether Euro-issues investments are a sort of non-official debt India; and

(g) whether Euro-issue transactions would lead to appreciation or depreciation of rupee currency?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINIS-